ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/627/2003/सीकर सुखाराम बनाम दुर्जनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री हरी शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0के0पंत, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक 14–01–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील सं0 169/1995 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 05–05–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के न्यायालय में विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे उन्होंने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध इकरतफा कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी के अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–12–1993 द्वारा वादी वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/627/2003/सीकर सुखाराम बनाम दुर्जनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05–05–2000 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–12–1993 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई हैं। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का घ्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण द्वारा पेश किए गए वाद को एकपक्षीय डिक्री किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालयभू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष वर्तमान प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा अपील इस आधार पर पेश की गई थी कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुए थे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसी आधार पर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण को सुनवाई एवं सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्टट है कि जिन नोटिस के आधार पर प्रत्यर्थी की तामील मानते हुए एकतरफा कार्यवाही की गई है वह स्वंय उसके द्वारा प्राप्त नहीं किए गए है तथा खुले मकान पर चस्पा किए जाने का जो अंकन तामील कुनिंदा द्वारा किया गया है उस पर गवाहों के पिता एवं पता अंकित नहीं है। जबकि तामील सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक था। हमारी सुविचारित राय में तामील सम्यक नहीं होने के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/627/2003/सीकर सुखाराम बनाम दुर्जनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय खाारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 05–05–2000 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हरीशंकर गोयल) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	